



Office of  
EXECUTIVE ENGINEER, DIVISION MANDI NO.-1 H.P.PWD. AT PADHAR  
Himachal Pradesh Public Works Department  
Ph. 01908- 260045, Fax: 260045, E-mail [ee-mandiv1-hp@nic.in](mailto:ee-mandiv1-hp@nic.in)

No.PW-MDI-WA -(FOREST CASE) /2024 - 10232

Dated: - 9/10/2024

To

Deputy Conservator of Forests,  
Mandi Forest Division,  
Distt. Mandi(H.P.)

Subject: -

Diversion of 4.00 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kufri-Nihon-Kheel-Demela road (Kms 0/00 to 8/100), within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, H.P. (Online Proposal, No. FP/HP/ROAD/25608/2017).

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी/एच.पी./06/80/2019/एफ.सी/177 दिनांक 22.07.2021.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8बी/एच.पी./06/80/2019/एफ.सी/177 दिनांक 22.07.2021 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति व विधिवत् स्वीकृति की शर्तें	मंजूर /नामंजूर
1.	वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।	वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग है।
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग है।
3. (क)	प्रतिपूरक वनीकरण:- वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने परिभाषित वन भूमि पर अर्थात 8.00 हे० Tandi DPF, Village Kanog, Beat Rehardhar, Block Rehardhar, Range Mandi, Forest Divison Mandi, Distt. Mandi में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाए।	यह सैद्धान्तिक स्वीकृति शर्त वन विभाग से सम्बन्धित है।



(ख)	राज्य सरकार द्वारा सी.ए.क्षेत्र के सही खसरा संख्या की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।	यह सैधान्तिक स्वीकृति शर्त वन विभाग से सम्बन्धित है।
(ग)	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी.ए.क्षेत्र पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	यह सैधान्तिक स्वीकृति शर्त वन विभाग से सम्बन्धित है।
(घ)	राज्य सरकार, निर्देशित guideline के para 1.21 (ii) के अनुसार FCA, 1980 के उल्लंघन फलस्वरूप Penal NPV की निर्धारित राशि कैम्पा कोष में online web portal द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण के माध्यम से जमा करेगी जिसमें 12% annual simple interest date/year of violation से deposit किये जाने तक की तिथि तक calculate किया जायेगा।	राज्य सरकार, निर्देशित guideline के para 1.21 (ii) के अनुसार FCA, 1980 के उल्लंघन फलस्वरूप Penal NPV की निर्धारित राशि 81,02,642/- (UTR No.SBIN523090484271 dated 03-04-2023) को कैम्पा कोष में online web portal द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण के माध्यम से जमा करवा दी गयी है जिसमें 12% annual simple interest date/year of violation से deposit किये जाने तक की तिथि तक calculate किया गया था। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र व ऑनलाइन चालन सलग्न है।
4.	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित एवं संधारित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित एवं संधारित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
5. (क)	शुद्ध वर्तमान मूल्य:- इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ) .सी.Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ दिनांक .सी.03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ दिनांक .सी.05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 4.00 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30. 10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ) .सी.Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ .सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ .सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 4.00 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। इसमें प्रयोक्ता



		अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
6.	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित कर दिया गया है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
7.	माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा I A No. 3840 in WP (c) No. 202/1995 में वर्तमान में एफ. सी. ए के तहत भूमि के प्रत्यावर्तन पर रोक लगाई गयी है। अतः राज्य सरकार माननीय, उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा इस निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही तदनुसार अपने स्तर पर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जारी किए जाने वाले स्वीकृति आदेश जारी करेगी।	माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा I A No. 3840 in WP (c) No. 202/1995 में वर्तमान में एफ. सी. ए के तहत भूमि के प्रत्यावर्तन पर रोक लगाई गयी है। अतः राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा इस निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही तदनुसार अपने स्तर पर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जारी किए जाने वाले स्वीकृति आदेश जारी करेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
9.	संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनिमयन साईनेज लगाये जायेंगे।	संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनिमयन साईनेज लगाये जायेंगे। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।




10.	<p>प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी सं० प्रस्ताव के अनुसार 21 पेड़ों में से केवल 06 पेड़ों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी सं० प्रस्ताव के अनुसार 21 पेड़ों में से केवल 06 पेड़ों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।</p>
11.	<p>आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।</p>	<p>आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।</p>
12.	<p>परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<a href="https://parivesh-nic-in/">https://parivesh-nic-in/</a>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित जमा किए जाएंगे।</p>	<p>परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<a href="https://parivesh-nic-in/">https://parivesh-nic-in/</a>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड Rs. 1,37,13,455/- (UTR No.SBIN523090484271 dated 03-04-2023 ) को जमा करवा दिए गये है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र और चालान सलग्न है।</p>
13.	<p>पर्यावरण अधिनियम (संरक्षण), 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।</p>	<p>पर्यावरण अधिनियम (संरक्षण), 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।</p>
14.	<p>केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का लेआउट प्लान - नहीं बदला जाएगा।</p>	<p>केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का लेआउट प्लान नहीं बदला जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।</p>
15.	<p>वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।</p>	<p>वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।</p>
16.	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।</p>
17.	<p>संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आरपिलर्स .सी.सी. द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।</p>	<p>संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर. सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण</p>



		की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्र है।
18.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्र है।
19.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्र है।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन अधिनियम (संरक्षण), 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्र है।
21	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्र है।
22.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्र है।
23.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार /प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार /प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की

		पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
24.	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल ( <a href="https://parivesh.nic/in/">https://parivesh.nic/in/</a> ) पर अपलोड की जाएगी।	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल ( <a href="https://parivesh.nic/in/">https://parivesh.nic/in/</a> ) पर अपलोड की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

  
Executive Engineer,  
Division Mandi No.-1  
HP.PWD. at Padhard





OFFICE OF DIVISIONAL FOREST OFFICER,  
MANDI FOREST DIVISION, MANDI, HP 175001  
Phone & Fax 01905-235360, e-mail-[dfomandi@gmail.com](mailto:dfomandi@gmail.com)

No./RK./- 5763  
From :- DCF Mandi

Dated 14-11-2024  
To:- CCF (T) Mandi

**Subject:-** Diversion of 4.00 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kufri Nihon Kheel Demela road km 0/0 to 8/100, within the jurisdiction of Mandi Forest Division, District Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/25608/2017).

**Memo:**

भारत सरकार, क्षेत्रीय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, शिमला हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या/8बी/एचपी/06/80/2019/एफसी/177 दिनांक/22.07.2021 के संदर्भ में लगाई गई शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्रयोक्ता अभिकरण व इस कार्यालय के द्वारा पूर्ण कर ली गई है तथा सम्बंधित रिपोर्ट आपके कार्यालय को निम्न प्रकार से प्रेषित की जा रही है:-

क्र० सं	सैधनतिक स्वीकृति शर्तें	पालना शर्तें
1	वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।	वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
2	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी। इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
3 क	प्रतिपूरक वनीकरण: वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर प्रस्तावित वन भूमि दोगुनी परिभाषित वन भूमि पर अर्थात् 8.00 हे० Tandi DPF, Village Kanog, Beat Rehardhar, Bck Rehardhar, Range Mandi Forest Division Mandi Distt. Mandi में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाये तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाये।	वन विभाग द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार दोगुने परिभाषित वन भूमि पर अर्थात् 8 हे० Tandi DPF, Village Kanog, Beat Rehardhar, Block Rehsarhar Forest Range Mandi, Mandi Forest Division, Distt. Mandi में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जायेंगे तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायेगा। इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
ख	राज्य सरकार द्वारा सी.ए. के सही खसरा न० की जानकारी प्रस्तुत की जायेगी।	प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार दोगुनी वन भूमि पर अर्थात् 8 हे० खसरा न० 01 Tandi DPF, Village Kanog, Beat Rehardhar, Block Rehsarhar Forest Range Mandi, Mandi Forest Division, Distt. Mandi में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा।
ग	वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया कि उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	प्रस्तावित सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
घ	राज्य सरकार निर्देशित एफ.सी.ए.1980 की guidelines के para 1.21 (ii) के अनुसार	राज्य सरकार निर्देशित एफ.सी.ए.1980 की guidelines के para 1.21 (ii) के अनुसार FCA,1980 के उल्लघन



	FCA,1980 के उल्लघन फलस्वरूप Penal NPV की निर्धारित राशि कैम्पा कोष में online web portal द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण के माध्यम से जमा करेगी जिसमें 12% annual simple interest date/year of violation से deposit किसे जाने तक की तिथि calculate किया जायेगा।	फलस्वरूप Penal NPV की निर्धारित राशि 81,02,642/- CA की राशि २029,82,813/- और एन0पी0वी0 की राशि 26,28,000/-कुल 1,37,13,455/- कैम्पा में जमा करण दी गई है। वचनबद्धता साथ संलग्न है।
4	प्रति वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमाकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित एवं संधारित किया जायेगा। इस परियोजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रवधान शामिल किये जा सकते है।	प्रति वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमाकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित एवं संधारित किया जायेगा। इस परियोजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रवधान शामिल किये जा सकते है। इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है।
5	शुध्द वर्तमान मूल्य:	
1क	इस संबन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायलय के WP (C) संख्या:202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002,01.08.2003ए28.03.2024. 24.04.2008 एवं 09.05.20208 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998 -एफ) सी Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ दिनांक सी.03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ दिनांक सी.05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 4.00 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिये शुध्द वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	इस संबन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायलय के WP (C) संख्या:202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002,01.08.2003ए28.03.2024. 24.04.2008 एवं 09.05.20208 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998 -एफ) सी Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006- एफ दिनांक सी.03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ दिनांक सी.05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 4.00 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिये शुध्द वर्तमान मूल्य वसूल करेगी इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है तथा वचनबद्धता साथ संलग्न है।
ख	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा प्रत्ययवर्तित वन भूमि के शुध्द वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	इस आशय में प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है तथा वचनबद्धता साथ संलग्न है।
6	FRA,2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया जायेगा।	FRA,2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया जायेगा से सम्बन्धित वचनबद्धता साथ संलग्न है।
7	माननीय उच्चतम न्यायलय नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP ©No. 202/1995 में वर्तमान में एफ,सी,ए, के तहत भूमि के प्रत्यावर्तन पर रोक लगाई गई है। अतः राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायलय नई दिल्ली द्वारा इस निर्णय लिये जाने के उपरांत ही तदनुसार अपने स्तर पर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जारी किये जाने वाल स्वीकृति आदेश जारी करेगी।	इस आशय में प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है तथा वचनबद्धता साथ संलग्न है।



8	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनो किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनो किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ायेगा। इससे सम्बन्धित वचनबद्धता साथ संलग्न है।
9	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनिमयन साईनेज लगाये जायेंगे।	इस आशय में प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है तथा वचनबद्धता साथ संलग्न है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 21 पेड़ों में से केवल 06 पेड़ों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 21 पेड़ों में से केवल 06 पेड़ों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी। इससे सम्बन्धित वचनबद्धता साथ संलग्न है।
11	आसपास के क्षेत्रों के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया नहीं जायेगा।	इस आशय से सम्बन्धित वचनबद्धता साथ संलग्न है।
12	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित जमा किये जायेंगे।	परियोजना के तहत Penal NPV की निर्धारित राशि 81,02,642/- CA की राशि रु0 29,82,813/- और एन0पी0वी0 की राशि 26,28,000/-कुल 1,37,13,455/- ई पोर्टल के माध्यम से कैम्पा में जमा करवा दी गई है। सम्बन्धित चालान की प्रति साथ संलग्न है।
13	पर्यावरण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	पर्यावरण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा से सम्बन्धित वचनबद्धता साथ संलग्न है।
14	केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आऊट प्लान को नहीं जायेगा।	केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आऊट प्लान को नहीं जायेगा। इस आशय की वचनबद्धता साथ संलग्न है।
15	वन भूमि पर किसी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा	वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा। इस आशय की वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न है।-
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदुरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदुरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा। इस आशय की वचनबद्धता साथ संलग्न है।
17	सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आरपिलर्स सी0सी0 द्वारा सीमांकन किया जायेगा। जिस पर Forwarded/Backward bearings अंकित हों।	सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आरपिलर्स सी0सी0 द्वारा सीमांकन किया जायेगा। जिस पर Forwarded/Backward bearings अंकित हों। इस आशय में प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है तथा वचनबद्धता साथ संलग्न है।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस



	हेतू नहीं किया जायेगा।	आशय की वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न है।-
19	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतू प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसियों/विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जायेगी।	इस आशय में प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है तथा वचनबद्धता साथ संलग्न है।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन अधिनियम संरक्षण 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017 -FC दिनांक 29-01-2024 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	इस आशय में प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है तथा वचनबद्धता साथ संलग्न है।
21	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समया समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है तथा इससे सम्बन्धित वचनबद्धता साथ संलग्न है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविदिष्ट पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखन हेतू दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा।	इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है तथा इससे सम्बन्धित वचनबद्धता साथ संलग्न है।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/ न्यायलय अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/ न्यायलय अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। इससे सम्बन्धित वचनबद्धता साथ संलग्न है।
24	अनुपालना रिपोर्ट e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ) में अपलोड की जाएगी।	अनुपालना रिपोर्ट e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ) में अपलोड की जाएगी। इससे सम्बन्धित वचनबद्धता साथ संलग्न है।

Encl:- As above

Endst. No./RK/ 5764

Deputy Conservator of Forests,  
Mandi Forest Division, Mandi HP

Dated, Mandi the/ 14-11-2024

Copy is forwarded to the Executive Engineer, Mandi Division No.1, District Mandi HP for information and further necessary action. This is w.r.t. his office letter No.PW-MDI-WA-(FOREST CASE)/2024-10232 dated 09.10.2024.

Deputy Conservator of Forests  
Mandi Forest Division, Mandi HP

14.11.24

14/11/24



## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 4.00 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kufri-Nihon-Kheel-Demela road (Kms 0/00 to 8/100), within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, H.P. (Online Proposal, No. FP/HP/ROAD/25608/2017).

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लॉगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/80 /2019/एफ. सी /177 दिनांक 22.07.2021.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8बी /एच .पी. /06/80 /2019/एफ. सी /177 दिनांक 22.07.2021के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
1.	वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।	वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Place:-Padhar

Date:-

95

Deputy Conservator of Forests  
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)

Executive Engineer,  
Division Mandi No.-1  
HP.PWD. at Padhar



## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 4.00 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kufri-Nihon-Kheel-Demela road (Kms 0/00 to 8/100), within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, H.P.  
(Online Proposal, No. FP/HP/ROAD/25608/2017).

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लॉगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/80 /2019/एफ. सी /177 दिनांक 22.07.2021.

महोदय :-


उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8बी /एच .पी. /06/80 /2019/एफ. सी /177 दिनांक 22.07.2021के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

Place:-Padhar

Date:-

95  
  
Deputy Conservator of Forests  
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)

  
Executive Engineer,  
Division Mandi No.-1  
HP.PWD. at Padhar




**Subject:-** Diversion of 4.00 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kufri Nihon Kheel Demela road km 0/0 to 8/100, within the jurisdiction of Mandi Forest Division, District Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/25608/2017).

## **Undertaking**

### **Stipulation No. :- 3 क**

वन विभाग द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार दोगुने परिभ्रमित वन भूमि पर अर्थात् 8 है० Tandi DPF, Village Kanog, Beat Rehardhar, Block Rehsarhar Forest Range Mandi, Mandi Forest Division, Distt. Mandi में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानिय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जायेंगे तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायेगा।

  
**Deputy Conservator of Forests,  
Mandi Forest Division, Mandi HP**



**Subject:-** Diversion of 4.00 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kufri Nihon Kheel Demela road km 0/0 to 8/100, within the jurisdiction of Mandi Forest Division, District Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/25608/2017).

## **Undertaking**

**Stipulation No. :- 3 ख**

प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार दोगुनी वन भूमि पर अर्थात 8 है० खसरा न01/2 मुहाल तुंग Tandi DPF, Village Kanog, Beat Rehardhar, Block Reharhar Forest Range Mandi, Mandi Forest Division, Distt. Mandi में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा।

  
**Deputy Conservator of Forests,  
Mandi Forest Division, Mandi HP**



**Subject:-** Diversion of 4.00 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kufri Nihon Kheel Demela road km 0/0 to 8/100, within the jurisdiction of Mandi Forest Division, District Mandi, HP (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/25608/2017).

### **Certificate**

**Stipulation No. :- 3 ग**

प्रमाणित किया कि उपरोक्त प्रस्तावित सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य प्रकार की योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

  
**Deputy Conservator of Forests,  
Mandi Forest Division, Mandi HP**

**CERTIFICATE No1 (a) REGARDING PROFORMA OF DEPOSIT OF FUNDS IN ADHOC-CAMPA**

S NO	PARTICULARS	DETAILS	
1	State/District/Forest Division to which the proposal related.	HP/Mandi/Mandi Forest Division	
2	Name of User Agency, Nature of proposal	Executive Engineer Mandi Division No.1	
3	Extent of Forest Area involved	4.00ha	
4	Whether original or extension.	Original	
5	If extension of lease, please clarify if proposal involves additional forest area and if so specify	-	
6	Date of 1st stage clearance	22.07.2021	
7	Extent of CAMPA charges head wise Viz.		
	(a) Compensatory Afforestation	2982813	
	(b) Additional CA	-	
	(c) Penal CA	8102642/-	
	(d) Catchment Area Treatment	0	
	(e) Wild life Management Plan	0	
	(f) Additional charges for diversion of Area felling under notified /protected area	0	
	(g) Net present value	Rs.2628000	
	(h) Any other charges levies (Pi. specify)	-	
8	Detail of bank Draft (Bank draft No. date and amount) head wise against item indicated in paragraph above.	-	
9	Whether deposited by RTGS of so the particular and date of remittance.	UTR No. SBIN523090484271 dated 03.04.2023	
10	Any other remarks	The another amount deposited by the UA 8782 forest	
		<b>Particular</b>	
		Departmental charges	444249/-
		GST 18% cost of fence post	25776/-
		Cost of trees	0
		Relevant Challan Copies are enclosed herewith for ready reference.	

  
**Deputy Conservator of Forests**  
**Mandi Forest Division, Mandi H.P**



# 559 NEFT: Message Details

## NEFT: Message Details

UTR Number	SBIN523090484271	
Transaction Branch	09987	
Value Date	31/03/2023	
Amount	1,37,13,455.00	INR
Commission	0.00	

## Beneficiary Details

Beneficiary Account	150706125608558
Beneficiary Name	HimachalPradeshCampa
Beneficiary Address	MANDI
IFSC Code	UBIN0996335

## Remitting Customer Details

Account Number	37608270703
Remitter's Name	SBI KATIPARI
Remitter's Address	PADHAR

## Sender's To Receiver Information

MK6001012//BULK BRH	

## Details of Payment

MK310320231001	

## Error Code


## Fund Status



328 to 330

Treasury code:		MDI	G	S	DDO Code: 6 0 0			DDO Code: 0 0		
DDO/SDO Description:- Executive Engineer, Mandi Division No.1, H.P.P.W.D. Padhar Ph. No. 01908260045										
Pre-Assigned Token No.:		22129192	Dated:-		3	1	-	0	3	-
To be directly credited to following accounts										
Total Amount:										13728030.00
Sr. No.	Name of contractor/Supplier	Payee Code	IFSC Code of Bank	Bank Name	Account No.	Amount Rs.				
1	HIMACHAL PRADESH CAMPA	MK60010123	UBIN0996335	UNION bank of India FCS Centre,21/1,III Floor, JELITTA Towers,Mission Road Bengaluru-560027	150706125608556	13713455.00				
2	Man Singh	M060010778	PUNB0299600	PNB Tikkan	2996000100023740	12025.00				
3	Thakur Computer Solution	M060010098	UBIN0536211	Union Bank Mandi	362101010034082	2550.00				
Total Amount:						13728030.00				

UTRN

(Rupees One Crore Thirty Seven Lakhs Twenty Eight Thousand & thirty )only.

Received By:  
HPTR-RTGS

*del*  
Executive Engineer  
Mandi Division No 1  
H.P.P.W.D at Padhar

(To be filled in duplicate)

(Pay order TO/TO for RTGS) Engineer  
Mandi Division No 1  
H.P.P.W.D at Padhar

*del*  
Executive Engineer  
Mandi Division No 1  
H.P.P.W.D at Padhar



## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

**Subject:-** Diversion of 4.00 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kufri-Nihon-Kheel-Demela road (Kms 0/00 to 8/100), within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, H.P.  
(Online Proposal, No. FP/HP/ROAD/25608/2017).

**संदर्भ:-** भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/80 /2019/एफ. सी /177 दिनांक 22.07.2021.

**महोदय :-**


उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8बी /एच .पी. /06/80 /2019/एफ. सी /177 दिनांक 22.07.2021 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
4.	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित एवं संधारित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित एवं संधारित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Place:-Padhar

Date:-

93  
  
Deputy Conservator of Forests  
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)

  
Executive Engineer,  
Division Mandi No.-1  
HP.PWD. at Padhar

## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

**Subject:-** Diversion of 4.00 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kufri-Nihon-Kheel-Demela road (Kms 0/00 to 8/100), within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, H.P. (Online Proposal, No. FP/HP/ROAD/25608/2017).

**संदर्भ:-** भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/80 /2019/एफ. सी /177 दिनांक 22.07.2021.

**महोदय :-**

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8बी /एच .पी. /06/80 /2019/एफ. सी /177 दिनांक 22.07.2021के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
5. (क)	<b>शुद्ध वर्तमान मूल्य:-</b> इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. )Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ दिनांक .सी. 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ दिनांक .सी.05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 4.00 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30. 10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ) .सी.Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ दिनांक .सी.03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ .सी. दिनांक05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 4.00 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है ।
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है ।

95 

Deputy Conservator of Forests  
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)

Executive Engineer,  
Division Mandi No.-1  
HP.PWD. at Padhar

Place:-Padhar

Date:-



## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 4.00 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kufri-Nihon-Kheel-Demela road (Kms 0/00 to 8/100), within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, H.P.  
(Online Proposal, No. FP/HP/ROAD/25608/2017).

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लॉगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/80 /2019/एफ. सी /177 दिनांक 22.07.2021.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8बी /एच .पी. /06/80 /2019/एफ. सी /177 दिनांक 22.07.2021के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
6.	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित कर दिया गया है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Place:-Padhar

Date:-

95

Deputy Conservator of Forests  
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)

Executive Engineer,  
Division Mandi No.-1  
HP.PWD. at Padhar

## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 4.00 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kufri-Nihon-Kheel-Demela road (Kms 0/00 to 8/100), within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, H.P.  
(Online Proposal, No. FP/HP/ROAD/25608/2017).

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/80 /2019/एफ. सी /177 दिनांक 22.07.2021.

महोदय :-


उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8बी /एच .पी. /06/80 /2019/एफ. सी /177 दिनांक 22.07.2021के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
7.	माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा I A No. 3840 in WP (c) No. 202/1995 में वर्तमान में एफ . ए के तहत भूमि के प्रत्यावर्तन . सी पर रोक लगाई गयी है अतः । राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा इस निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही तदनुसार अपने स्तर पर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जारी किए जाने वाले स्वीकृति आदेश जारी करेगी।	माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा I A No. 3840 in WP (c) No. 202/1995 में वर्तमान में एफए के . सी . तहत भूमि के प्रत्यावर्तन पर रोक लगाई गयी है अतः । राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय , नई दिल्ली द्वारा इस निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही तदनुसार अपने स्तर पर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जारी किए जाने वाले स्वीकृति आदेश जारी करेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है ।

Place:-Padhar

Date:-

  
Deputy Conservator of Forests  
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)

  
Executive Engineer,  
Division Mandi No.-1  
HP.PWD. at Padhar



## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

**Subject:-** Diversion of 4.00 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kufri-Nihon-Kheel-Demela road (Kms 0/00 to 8/100), within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, H.P. (Online Proposal, No. FP/HP/ROAD/25608/2017).

**संदर्भ:-** भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लॉगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/80 /2019/एफ. सी /177 दिनांक 22.07.2021.

**महोदय :-**


उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8बी /एच .पी. /06/80 /2019/एफ. सी /177 दिनांक 22.07.2021के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
8.	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

**Place:-Padhar**

**Date:-**

  
Deputy Conservator of Forests  
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)

  
Executive Engineer,  
Division Mandi No.-1  
HP.PWD. at Padhar

## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 4.00 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kufri-Nihon-Kheel-Demela road (Kms 0/00 to 8/100), within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, H.P.  
(Online Proposal, No. FP/HP/ROAD/25608/2017).

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/80 /2019/एफ. सी /177 दिनांक 22.07.2021.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8बी /एच .पी. /06/80 /2019/एफ. सी /177 दिनांक 22.07.2021के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
9.	संरक्षित क्षेत्रों वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ /	संरक्षित क्षेत्रों वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति / अभिकरण की पूर्णतया सहमती है ।

Place:-Padhar

Date:-

Deputy Conservator of Forests  
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)

Executive Engineer,  
Division Mandi No.-1  
HP.PWD. at Padhar



## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject: - Diversion of 4.00 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kufri-Nihon-Kheel-Demela road (Kms 0/00 to 8/100), within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, H.P.  
(Online Proposal, No. FP/HP/ROAD/25608/2017).

संदर्भ:- भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लॉगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी/एच.पी./06/80/2019/एफ.सी/177 दिनांक 22.07.2021.


महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8बी/एच.पी./06/80/2019/एफ.सी/177 दिनांक 22.07.2021के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
10.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी सं० प्रस्ताव के अनुसार 21 पेड़ों में से केवल 06 पेड़ों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी सं० प्रस्ताव के अनुसार 21 पेड़ों में से केवल 06 पेड़ों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Place:-Padhar  
Date:-

  
Deputy Conservator of Forests  
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)

  
Executive Engineer,  
Division Mandi No.-1  
HP.PWD. at Padhar

## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 4.00 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kufri-Nihon-Kheel-Demela road (Kms 0/00 to 8/100), within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, H.P. (Online Proposal, No. FP/HP/ROAD/25608/2017).

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लॉगबुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/80 /2019/एफ. सी /177 दिनांक 22.07.2021.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8बी /एच .पी. /06/80 /2019/एफ. सी /177 दिनांक 22.07.2021के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।


क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
11.	आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।	आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Place:-Padhar

Date:-

95 

Deputy Conservator of Forests  
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)

  
Executive Engineer,  
Division Mandi No.-1  
HP.PWD. at Padhar



## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 4.00 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kufri-Nihon-Kheel-Demela road (Kms 0/00 to 8/100), within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, H.P.  
(Online Proposal, No. FP/HP/ROAD/25608/2017).


संदर्भ:-


भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लॉगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/80 /2019/एफ. सी /177 दिनांक 22.07.2021.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8बी /एच .पी. /06/80 /2019/एफ. सी /177 दिनांक 22.07.2021के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
12.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई- ) पोर्टल( <a href="https://parivesh-nic-in/">https://parivesh-nic-in/</a> ) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित जमा किए जाएंगे।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई) पोर्टल- <a href="https://parivesh-nic-in/">https://parivesh-nic-in/</a> ) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड Rs. 1,37,13,455/- (UTR No.SBIN523090484271 dated 03-04-2023 ) को जमा करवा दिए गये है इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की । पूर्णतया सहमती है

  
Deputy Conservator of Forests  
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)

  
Executive Engineer,  
Division Mandi No.-1  
HP.PWD. at Padhar

Place:-Padhar

Date:-

## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 4.00 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kufri-Nihon-Kheel-Demela road (Kms 0/00 to 8/100), within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, H.P. (Online Proposal, No. FP/HP/ROAD/25608/2017).

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लॉगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/80 /2019/एफ. सी /177 दिनांक 22.07.2021.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8बी /एच .पी. /06/80 /2019/एफ. सी /177 दिनांक 22.07.2021के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
18.	पर्यावरण अधिनियम (संरक्षण), 198 6 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	पर्यावरण अधिनियम (संरक्षण), 198 6के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

45  


Deputy Conservator of Forests  
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)

Executive Engineer,  
Division Mandi No.-1  
HP.PWD. at Padhar

Place:-Padhar

Date:-



## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 4.00 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kufri-Nihon-Kheel-Demela road (Kms 0/00 to 8/100), within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, H.P.  
(Online Proposal, No. FP/HP/ROAD/25608/2017).

संदर्भ:-


भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लॉगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/80 /2019/एफ. सी /177 दिनांक 22.07.2021.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8बी /एच .पी. /06/80 /2019/एफ. सी /177 दिनांक 22.07.2021के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
14.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का लेआउट - प्लान नहीं बदला जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है ।

  
Deputy Conservator of Forests  
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)

  
Executive Engineer,  
Division Mandi No.-1  
HP.PWD. at Padhar

Place:-Padhar  
Date:-

## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject: -

Diversion of 4.00 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kufri-Nihon-Kheel-Demela road (Kms 0/00 to 8/100), within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, H.P.  
(Online Proposal, No. FP/HP/ROAD/25608/2017).

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लॉगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी/एच.पी./06/80/2019/एफ.सी/177 दिनांक 22.07.2021.


महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8बी/एच.पी./06/80/2019/एफ.सी/177 दिनांक 22.07.2021के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
15.	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Place:-Padhar  
Date:-

95  
  
Deputy Conservator of Forests  
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)

  
Executive Engineer,  
Division Mandi No.-1  
HP.PWD. at Padhar



## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

**Subject:-**

Diversion of 4.00 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kufri-Nihon-Kheel-Demela road (Kms 0/00 to 8/100), within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, H.P.  
(Online Proposal, No. FP/HP/ROAD/25608/2017).

**संदर्भ:-**

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० ४बी /एच .पी. /06/80 /2019/एफ. सी /177 दिनांक 22.07.2021.


**महोदय :-**

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० ४बी /एच .पी. /06/80 /2019/एफ. सी /177 दिनांक 22.07.2021के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
16.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्याय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्याय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

**Place:-Padhar**  
**Date:-**

  
Deputy Conservator of Forests  
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)

  
Executive Engineer,  
Division Mandi No.-1  
HP.PWD. at Padhar

## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 4.00 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kufri-Nihon-Kheel-Demela road (Kms 0/00 to 8/100), within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, H.P.  
(Online Proposal, No. FP/HP/ROAD/25608/2017).

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लॉगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/80 /2019/एफ. सी /177 दिनांक 22.07.2021.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8बी /एच .पी. /06/80 /2019/एफ. सी /177 दिनांक 22.07.2021के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
17.	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर .सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर. सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।



Deputy Conservator of Forests  
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)

Executive Engineer,  
Division Mandi No.-1  
HP.PWD. at Padhar

Place:-Padhar

Date:-



## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 4.00 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kufri-Nihon-Kheel-Demela road (Kms 0/00 to 8/100), within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, H.P. (Online Proposal, No. FP/HP/ROAD/25608/2017).

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी/एच.पी./06/80/2019/एफ.सी/177 दिनांक 22.07.2021.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8बी/एच.पी./06/80/2019/एफ.सी/177 दिनांक 22.07.2021के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
18.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Executive Engineer,  
Division Mandi/No.-1  
HP.PWD. at Padhar

Place:-Padhar

Date:-

Deputy Conservator of Forests  
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)

## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 4.00 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kufri-Nihon-Kheel-Demela road (Kms 0/00 to 8/100), within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, H.P.  
(Online Proposal, No. FP/HP/ROAD/25608/2017).

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/80 /2019/एफ. सी /177 दिनांक 22.07.2021.

महोदय :-


उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8बी /एच .पी. /06/80 /2019/एफ. सी /177 दिनांक 22.07.2021के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
19.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Place:-Padhar

Date:-

95   
Deputy Conservator of Forests  
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)

  
Executive Engineer,  
Division Mandi No.-1  
HP.PWD. at Padhar



## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 4.00 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kufri-Nihon-Kheel-Demela road (Kms 0/00 to 8/100), within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, H.P.  
(Online Proposal, No. FP/HP/ROAD/25608/2017).

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लॉगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/80 /2019/एफ. सी /177 दिनांक 22.07.2021.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8बी /एच .पी. /06/80 /2019/एफ. सी /177 दिनांक 22.07.2021के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन अधिनियम (संरक्षण), 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

93

Deputy Conservator of Forests  
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)

Executive Engineer,  
Division Mandi No.-1  
HP.PWD. at Padhar

Place:-Padhar

Date:-

## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 4.00 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kufri-Nihon-Kheel-Demela road (Kms 0/00 to 8/100), within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, H.P. (Online Proposal, No. FP/HP/ROAD/25608/2017).

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लॉगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी/एच.पी./06/80/2019/एफ.सी/177 दिनांक 22.07.2021.

महोदय :-


उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8बी/एच.पी./06/80/2019/एफ.सी/177 दिनांक 22.07.2021के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
21	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Place:-Padhar

Date:-

45  
  
Deputy Conservator of Forests  
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)

  
Executive Engineer,  
Division Mandi No.-1  
HP.PWD. at Padhar



Subject:-

Diversion of 4.00 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kufri-Nihon-Kheel-Demela road (Kms 0/00 to 8/100), within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, H.P. (Online Proposal, No. FP/HP/ROAD/25608/2017).

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लॉगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/80 /2019/एफ. सी /177 दिनांक 22.07.2021.

महोदय :-


उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8बी /एच .पी. /06/80 /2019/एफ. सी /177 दिनांक 22.07.2021के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
22.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा ।	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा । इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है ।

Place:-Padhar

Date:-

  
Deputy Conservator of Forests  
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)

  
Executive Engineer,  
Division Mandi No.-1  
HP.PWD. at Padhar

# वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 4.00 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kufri-Nihon-Kheel-Demela road (Kms 0/00 to 8/100), within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, H.P. (Online Proposal, No. FP/HP/ROAD/25608/2017).

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/80 /2019/एफ. सी /177 दिनांक 22.07.2021.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8बी /एच .पी. /06/80 /2019/एफ. सी /177 दिनांक 22.07.2021के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
23.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /नियम/अनुच्छेद/ न्यायालय अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो प्रयोक्त / उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार एजेंसी की जिम्मेवारीहोगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /नियम/अनुच्छेद/ न्यायालय अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो प्रयोक्त / उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की । पूर्णतया सहमती है

Place:-Padhar

Date:-

90  
Deputy Conservator of Forests  
Mandi Forest Division, Mandi (H.P.)

Executive Engineer,  
Division Mandi No.-1  
HP.PWD. at Padhar